दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

(91)

(92)

पत्रांक : 1878/05/76/एक/2013–14 दिनांक : 20 सितम्बर 2013

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद– बस्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। cLrh

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके जनपद को मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार जनपदीय डूडा के खाते में धनराशि आन्तरित कर दी गई है:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	बस्ती	न0पं0 बभनान (एससीपी)	वार्ड नं0 1 अम्बेडकर नगर में पी0एम0जी0एस0वाई मार्ग से शिव पूजन के मकान तक महीपत के मकान से दीपक के मकान तक, अयोध्या के मकान से टिमल के मकान तक, राजाराम के मकान से गोली के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	27.990	13.995	1.560	12.435	UBI-520302010004399 IFSC COAD-UBIN0552038
2	बस्ती	न0पं0 बभनान	वार्ड नं0–2, आदिशक्ति नगर में बाहु के मकान से राम उजागिर के मकान तक, तुलसी धोबी के मकान से बाबूराम के मकान होते हुए बलराम के मकान तक गोकुला चौराहा से पिच मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	28.350	14.175	1.580	12.595	
3	बस्ती	न0पं0 बभनान	वार्ड–2, आदिशक्ति नगर में अहिरनपुरवा से रामदीन के मकान तक, दीपक के मकान से मानिक राम के मकान तक, भटहा पिच रोड से प्रहलाद के मकान तक, प्रहलाद के मकान से काशीराम वर्मा के मकान तक, सन्त्राम वर्मा के मकान से महुआपुरवा मार्ग तक, बाहु के मकान से मुख्य मार्ग तक।	28.930	14.465	1.610	12.855	
4	बस्ती	न0पं0 बभनान	वार्ड–2, आदिशक्ति नगर में राम औतार के मकान से पारसाराम के मकान तक, राम नरेश के मकान से रामदेव के मकान तक, कॉवर का पुरवा तिराहा से राम शब्द के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण्या का कार्य।	26.000	13.000	1.440	11.560	
	योग			111.27	55.635	6.19	49.445	

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों में ही स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5– एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल–सूडा।
5. लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक